

इसे वेबसाइट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )  
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 112 ]

भोपाल, रविवार, दिनांक 2 अप्रैल 2023—चैत्र 12, शक 1945

राजस्व विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 2 अप्रैल 2023

क्र. एफ 11-01-2022-सात-शा-7.—भारत सरकार, गृह मंत्रालय के पत्र क्रमांक 11-09-2022-एम एण्ड जी, दिनांक 7 दिसम्बर 2022 द्वारा संसूचित अनापत्ति के अनुसरण में, राज्य शासन, एतद्वारा, सीहोर जिले के ग्राम "नसरुल्लागंज" का नाम परिवर्तित कर "भैरून्दा" करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
चंद्रशेखर वालिम्वे, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 2 अप्रैल 2023

क्र. एफ 11-01-2022-सात-शा-7.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 11-01-2022-सात-शा-7, दिनांक 2 अप्रैल 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
चंद्रशेखर वालिम्वे, अपर सचिव.

Bhopal, the 2<sup>nd</sup> April 2023

No. F 11-01-2022-VII-Sec-7.— In pursuance of no objection conveyed by Government of India, Ministry of Home Affairs vide their letter No. 11-09-2022-M & G, dated the 07<sup>th</sup> December 2022, the State Government hereby change the name of village of "NASRULLAGANJ" District Sehore as "BHAIKUNDA" with immediate effect.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
CHANDRA SHEKHAR WALIMBE, Addl. Secy.